भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न **संख्या** *77**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

खरीफ और रबी फसलों के मौसम में उर्वरकों का वितरण

*77**. **श्री अबू ताहेर खान:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों के मौसम से कितने दिन या समयावधि पूर्व विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जाता है; और

(ख) क्या मौसम में उचित समय पर उर्वरकों की आपूर्ति न होने के कारण इनकी कालाबाजारी में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कम लागत पर फसल उगाने हेतु आवश्यक उर्वरक जुटाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'खरीफ और रबी फसलों के मौसम में उर्वरकों का वितरण' के संबंध में श्री अबू ताहेर खान द्वारा पूछे गए दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *77 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है। इन आपूर्तियों को स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(ख): चालू रबी मौसम 2024-25 (01.10.2024 से 02.02.2025 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:-

रबी मौसम 2024-25 के दौरान संपूर्ण भारत में उर्वरक उपलब्धता की स्थिति (02.02.2025 तक)

< मात्रा एलएमटी में >

क्र.सं.	उत्पाद समूह	मौसमी आवश्यकता	01.10.2024 से 02.02.2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01.10.2024 से 02.02.2025 तक उपलब्धता	01.10.2024 से 02.02.2025 तक डीबीटी बिक्री	02.02.2025 को अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	186.89	151.73	201.26	158.84	42.42
2	डीएपी	52.05	46.43	53.48	44.42	9.06
3	एमओपी	11.95	9.32	18.78	9.60	9.18
4	एनपीकेएस	77.10	61.66	82.98	59.92	23.06

इसके अतिरिक्त, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरक विभाग में उर्वरकों की कालाबाजारी/निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

******